निरीक्षण आख्या अधीशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग–प्रथम

कार्यालय, अधीशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी के अवधि 04 / 2014 से 03 / 2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनॉक 28.07.2016 से 08.08.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.2014 से 08.07.2014 तक श्री बी0 डी0 सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04 / 2010 से 03 / 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 04 / 2014 से 03 / 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री के0 सी0 पाण्डे | दि0 15 / 01 / 11 से 31 / 05 / 15 |
| 2 | श्री सन्तोष कुमार उपाध्याय | दि0 01 / 06 / 15 से लगातार |

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

| ले.प. प्रति. संख्या व वर्ष | भाग–2 अ | भाग–दो 'ब' |
|---|---|---|
| 53 / 2010–11 | – | 1, 2, 3 |
| 82 / 2014–15 | – | 1, 2 |

(ब) सतत् अनियमिततायेंः – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2.बजटः – (धनराशि रू0 लाख में)

| वर्ष | आयोजनागत | | आयोजनेत्तर | | अन्य स्रोतों से | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2013–14 | 583.78 | 572.48 | 170.37 | 179.39 | 548.36 | 550.64 |
| 2014–15 | 862.98 | 831.14 | 379.37 | 327.16 | 1409.96 | 1206.08 |
| 2015–16 | 722.08 | 770.09 | 210.15 | 238.11 | 1055.98 | 881.95 |

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 :– बकायेदारों से जलमूल्य की धनराशि की वसूली ना किया जाना रू0 28.95 करोड़।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–72 (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है एवं धारा 61 (1) के अन्तर्गत देयों की वसूली भू–राजस्व के रूप में करायी जायेगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

इकाई के अन्तर्गत घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन (औद्योगिक, व्यावसायिक, भवन इत्यादि) हेतु विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक, अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान, म्यूनिसिपल बहुउद्देशीय एवं छावनी परिषद के अन्तर्गत जलमूल्य वसूली के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शनों से काठगोदाम संग्रह केन्द्र के 3872 कनेक्शनों से रू0 4,04,00,990 हल्द्वानी ऑफिस के 14068 कनेक्शनों से रू0 9,91,53,482 वाटर वर्क्स केन्द्र के 6936 कनेक्शनों से रू0 10,26,29,673 एवं ऊंचापुल संग्रह केन्द्र के 4990 कनेक्शनों से रू0 4,73,72,079 कुल 29,866 कनेक्शनों से रू0 28,95,56,224 के जलमूल्य की वसूली नहीं की गयी। विवरण निम्नवत है।

| क्र0 | संग्रह केन्द्र का नाम | क्षेत्र | कनेक्शन का प्रकार / संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काठगोदाम | | | संख्या | धनराशि |
| | | ग्रामीण | घरेलू | 1917 | 9259864 |
| | | | अघरेलू | 22 | 377856 |
| | | शहरीय | घरेलू | 1743 | 14136425 |
| | | | अघरेलू | 190 | 16626845 |
| | | | योग | 3872 | 4,04,00,990 |
| 2 | हल्द्वानी ऑफिस | ग्रामीण | घरेलू | 8553 | 30445013 |
| | | | अघरेलू | 364 | 9346583 |
| | | शहरीय | घरेलू | 4836 | 46009550 |
| | | | अघरेलू | 315 | 13352336 |
| | | | योग | 14,068 | 9,91,53,482 |
| 3 | वाटर वर्क्स | ग्रामीण | घरेलू | 1681 | 21201646 |
| | | | अघरेलू | 54 | 1098038 |
| | | शहरीय | घरेलू | 4687 | 42492301 |
| | | | अघरेलू | 514 | 37837688 |
| | | | योग | 6,936 | 10,26,29,673 |
| 4 | ऊंचापुल | ग्रामीण | घरेलू | 4617 | 36101368 |
| | | | अघरेलू | 373 | 11270711 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शहरीय | घरेलू | 0 | 0 |
| | | | अघरेलू | 0 | 0 |
| | | | योग | 4,990 | 4,73,72,079 |
| | कुल योग | | | 29,866 | 28,95,56,224 |

इन्हीं बकायों की विस्तृत जांच में पाया गया कि अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 1525 कनेक्शनों से रू0 5,98,49,636 के जलमूल्य एवं सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों के 77 कनेक्शनों पर रू0 1,32,55,328 के जलमूल्य की राशि बकाया है जिसकी वसूली इकाई द्वारा नहीं की जा सकी है एवं ना ही कोई नोटिस पत्र निर्गत किया गया है। विवरण निम्नवत है।

| क | संग्रह केन्द्र | कनेक्शन का प्रकार / संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यवसायिक प्रतिष्ठान | | सरकारी / अर्द्धसरकारी | |
| | | संख्या | धनराशि | संख्या | धनराशि |
| 1 | काठगोदाम | 297 | 45,84,468 | 66 | 1,20,49,768 |
| 2 | हल्द्वानी ऑफिस | 117 | 62,18,159 | 6 | 11,41,712 |
| 3 | वाटर वर्क्स | 678 | 37,77,3840 | 5 | 63,848 |
| 4 | ऊँचापुल | 433 | 1,12,73,169 | 0 | 0 |
| | कुल योग | 1525 | 5,98,49,636 | 77 | 1,32,55,328 |

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2010–11 में 48 कनेक्शनों से रू0 6,21,076 एवं वर्ष 2014–15 में 23 कनेक्शनों से रू0 10,04,386 कुल 71 कनेक्शनों से रू0 16,25,462 के जलमूल्य की वसूली हेतु इकाई द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था जोकि इकाई के पास मूलतः वापस आ गया। इन प्रकरणों में जलमूल्य की वसूली हेतु भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बकाया राशियों की वसूली के सम्बन्ध में विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा देयक राशि जमा नहीं की गयी है उन्हें नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिन बकायेदारों के नोटिस पत्र वापस आ गये है उनसे सम्पर्क कर वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से बकाया वसूली के सम्बन्ध में बताया गया कि उन विभागों से सम्पर्क किया गया है। विभागों द्वारा बजट प्राविधान कर धनावंटन प्राप्त होने पर भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया गया है। वर्तमान में पुनः ऐसे बकायेदारों से वसूली हेतु कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि बकायेदारों से वसूली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के पश्चात कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया है एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों से बकाया की वसूली के सम्बन्ध में किये गये सम्पर्क के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बकायेदारों से जलमूल्य के रूप में रू0 28.95 करोड़ की वसूली ना किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 :– रू0 561.214 लाख के कार्यो का लम्बित रहना।

जल सम्पूर्ति योजनाओं की जीर्णोद्धार / पुर्नगठन / सुदृढ़ीकरण निर्माण एवं हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु ठेकेदारों को निर्गत किये गये कार्यादेश में यह आदेशित किया गया है कि योजना के मरम्मत सम्बन्धी कार्य कार्यादेश देने की तिथि से 45 / 60 दिवस में कार्य पूर्ण करना होगा।

इकाई में राज्य योजना एवं एन0आर0डी0डब्लू0पी0 योजना के अन्तगर्त कराये जाने वाले कार्यो की पत्रावलियों एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त योजना के तहत विभिन्न शासनादेशों से कुल 12 कार्यों हेतु रू0 775.626 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष शासन द्वारा कुल रू0 561.214 की धनराशि विभाग को उपलब्ध कराये जाने के बावजूद उक्त 12 कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे। विवरण निम्नवत है।

| क्र0 | कार्य का विवरण | शासनादेश एवं दिनांक | स्वीकृत धनराशि | प्राप्त धनराशि | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| **अ– राज्य योजना (सामान्य)** | | | | | |
| 1 | कुसुमखेड़ा छड़ायल नायक में पेयजल व्यवस्था हेतु सिंचाई विभाग के नलकूप सं0–205 एच0जी0 से पाईप लाईन बिछाने का कार्य | 429 / उन्तीस(2) / 15–2 (133 पे0) / 2014, दिनांक 13.03.2015 | 37.700 | 7.700 | प्रगति पर |
| | | 1195 / उन्तीस(2) / 16–2(133 पे0) / 2014, दिनांक 20.07.2016 | | 30.000 | |
| 2 | कालाढूँगी ग्रामीण पेयजल योजना के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु सिंचाई विभाग के नलकूपों को जोड़ना | 429 / उन्तीस(2) / 15–2 (133 पे0) / 2014, दिनांक 13.03.2015 | 28.070 | 8.070 | प्रगति पर |
| | | 1195 / उन्तीस(2) / 16–2(133 पे0) / 2014, दिनांक 20.07.2016 | | 20.000 | |
| 3 | नगरीय पेयजल योजना के नलकूपों में वोल्टेज स्टैबलाईजर लगाने का कार्य | 413 / उन्तीस(2) / 15–2(192पे0) / 2014–15, दिनांक 23.03.2015 | 184.800 | 10.800 | प्रगति पर |
| | | 1091 / उन्तीस(2) / 15–2(192पे0) / 2014, दिनांक 25.08.2015 | | 50.000 | |
| | | 127 / उन्तीस(2) / 15–2(192पे0) / 2014, दिनांक 23.01.2016 | | 10.000 | |
| | | 127 / उन्तीस(2) / 15–2(192पे0) / 2014, दिनांक 23.01.2016 | | 50.000 | |
| 4 | हल्द्वानी, लालकुआं एवं कालाढूँगी योजना के नलकूपों हेतु पम्प संयंत्रों की आपूर्ति | 498 / उन्तीस(2) / 15–2 (107 पे0) / 2014, दिनांक 24.03.2015 | 99.090 | 27.610 | प्रगति पर |
| | | 802 / उन्तीस(2) / 15–2 (107 पे0) / 2014, दिनांक 06.07.2015 | | 20.000 | |
| | | 1618 / , दिनांक 31.12.2015 | | 51.480 | |
| 5 | हल्द्वानी नागरीय पेयजल योजनान्तर्गत विभिन्न गलियों / मोहल्लों में पेयजल योजना का रखरखाव कार्य | 1556 / उन्तीस(2) / 15–2 (191 पे0) / 2015, दिनांक 08.02.2016 | 80.320 | 30.320 | प्रगति पर |
| 6 | हल्द्वानी नागरीय पेयजल योजना का जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण कार्य | 1550 / उन्तीस(2) / 15–2 (190 पे0) / 2015, दिनांक 08.02.2016 | 89.590 | 39.590 | प्रगति पर |
| 7 | हल्द्वानी नागरीय पेयजल योजना का जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण कार्य | 1550 / उन्तीस(2) / 15–2 (190 पे0) / 2015, दिनांक 08.02.2016 | 93.090 | 43.090 | प्रगति पर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ब– राज्य योजना (एन0आर0डी0डब्लू0पी0 मैचिंग शेयर)** | | | | | |
| 8 | शाखान्तर्गत नागरीय / ग्रामीण क्षेत्र में 10 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापन | 503 / उन्तीस(2) / 13–2 (25 पे0) / 2013 दिनांक 28.11.2013 | 32.616 | 32.204 | प्रगति पर |
| **द– एन0आर0डी0डब्लू0पी0 (ओ0 एण्ड एम0)** | | | | | |
| 9 | NRDWP O&M (SCADA) | मुख्यालय 35–5.5.15 | 17.690 | 17.690 | प्रगति पर |
| 10 | NRDWP O&M (SCP) | मुख्यालय 220–21.9.15 | 20.500 | 20.500 | प्रगति पर |
| 11 | NRDWP O&M (SCP) | मुख्यालय 276–14.10.15 | 60.000 | 60.000 | प्रगति पर |
| 12 | NRDWP O&M (GO-214, Dt 15-12-15) | मुख्यालय 332–15.12.15 | 32.160 | 32.160 | प्रगति पर |
| | योग | | 775.626 | 561.214 | |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया कि कार्यो में निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। कुछ कार्यों में सामग्रियों की आपूर्ति की जा चुकी है एवं कुछ कार्यो में कार्यादेश निर्गत किये जाने शेष हैं।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उपरोक्त 12 कार्यो में रू0 561.214 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्यो को प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

अतः रू0 561.214 लाख के कार्यो के लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 91054.00 की अनावश्यक खरीद एवं 410330.00 की पूर्व में क्रय सामग्री का अवरूद्ध रहना।

वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप विहित है कि आवश्यकतानुसार ही खरीद की जाय एवं अनावश्यक खरीद से बचा जाय।

जल संस्थान हल्द्वानी में उपलब्ध स्टॉक पंजिका (वर्ष 2014–15 एवं 2015–16) की जांच में पाया गया कि 11 प्रकार की सामग्री (सूची संलग्न) में वर्ष 2013–14 के प्रारम्भिक अवशेष में इतना स्टॉक मौजूद था कि वर्ष 2013–14 के प्रारम्भिक अवशेष में इतना स्टॉक मौजूद था कि वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के वितरण को बिना किसी अतिरिक्त खरीद के समायोजित किया जा सकता था परन्तु संस्थान द्वारा ऐसा नहीं करके अतिरिक्त खरीद (नियमानुसार) जारी रखी गई।

| Sr. No. | **Item** | **2014-15 में खरीदें** | **2015-16 में खरीदें** | **Amt.** |
|---|---|---|---|---|
| i | GI Gate Value 20 mm | 25 | - | 17123 |
| ii | GI Union 32 mm | 132 | 43 | 14894 |
| iii | GI Union 40 mm | 158 | 128 | 29552 |
| iv | GI Union 65 mm | 52 | - | 14483 |
| v | GI Union100 mm | 20 | 4 | 15002 |
| | | | | **91054.4** |

पुनः उक्त विभागीय अनावश्यक खरीद के जारी रहने के कारण वर्ष 2015–16 के अन्तिम अवशेष में ` 410330 की सामग्री 25 विगत तीन वर्षों से अवरोधन रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संस्थान ने उत्तर में कहा कि आकस्मिक स्थिति के दृष्टिगत बफर स्टॉक रखा जाता है।

विभागीय आख्या अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त आख्या उपरोक्तानुसार की गई खरीद एवं प्रयुक्त स्टॉक के दृष्टिगत उचित नहीं है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 4 : विनिर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा विहित मानकों के अनुपालन के कारण विहित लक्ष्यों का अप्राप्त रहना।**

भारत सरकार द्वारा पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत विहित प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनावंटन का 22 प्रतिशत भाग एस.सी. / एस.टी. क्षेत्रों के लाभार्थ खर्च किया जाना चाहिए। संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान हैण्डपम्प अधिष्ठान से संबंधित सूचना सूचनानुसार कुल 50 हैण्डपम्प विभिन्न क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये जाने थे और कुल 50 हैण्डपम्प अधिष्ठापित भी किये गये। परन्तु एस.सी. / एस.टी. क्षेत्रों में केवल 04 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये। जबकि नियमानुसार कुल अधिष्ठाप 50 का 22 प्रतिशत एस.सी. / एस.टी. क्षेत्रों में लगाया जाना था।

इंगित किये जाने पर विभाग ने स्पष्ट किया कि भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार जल स्तर में कमी के कारण मानकानुसार हैण्डपम्प नहीं लगाये गये।

विभागीय आख्या स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिक गहराई तक बोरिंग दर मानकों के अनुसार विहित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता था।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 5 : ` 22.41 लाख का अनियिमत व्यय।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्पर्धा का लाभ हेतु विनिर्दिष्ट सीमानुसार, कार्यों को शुरू करने से पूर्व निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

जल संस्थान, हल्द्वानी में उपलब्ध विभिन्न कार्योदेशों की पत्रावली और तत्सम्बन्धी अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विधानसभा कालाढूंगी के विकासखण्ड हल्द्वानी के चांदनी चौक घुड़दौड़ी क्षेत्र में एक मिनी नलकूप अधिष्ठान एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु शासनादेश पत्रांक 42 / उन्तीस (2) / 14– 2 (168 पे. ) / 2013 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा ` 96.89 लाख की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त आदेश के बिन्दु (ix) के अनुसार अन्य विहित नियमों के अलावा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य था।

उक्त आदेश के अन्तर्गत Drillig and Development of 250 mm dia minitubewells/Tubevells by DR/ODEX Casting method at chandni chowk Gurudwara हेतु Total cost of civil work मद में ` 31,30,093.00 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। संस्थान द्वारा उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई अपितु मुख्यालय द्वारा ऐसे ही कार्य हेतु पारित कार्यदेश को आधार मानकर (44 / सीवी नं. 03 RBF-Kaldhubagar / 2013–14) दिनांक 23.11.2013) वं उक्त कार्यादेश में वर्णित रेट को आधार मानकर उसी कान्ट्रेक्टर अर्थात मैसर्स श्याम इन्जीनिर्यस कनखल, हरिद्वार को कार्यादेश 1813 / Hand-Pump-Tubevell / 25 दिनांक 26.05.14 निर्गत कर दिये जिससे संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक लाभ से वंचित रह गया। तदनुक्रम में विभाग द्वारा उक्त Conractor को 22.41 लाख का भुगतान किया गया। पुनः विभाग द्वारा उक्त कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक Verticality Test नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग ने उत्तर दिया कि मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून से दूरभाष से दिये गये निर्देश, सहायक अभियन्ता की आख्या के अनुसार कार्य की महत्ता को देखते हुये अधीक्षण अभियन्ता वृत्त हल्द्वानी से अनुमोदनोपरान्त कार्यादेश निर्गत किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कान्ट्रेक्टर का चयन अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार नहीं किया गया था जिससे विभाग प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले लाभ से वंचित रहा।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN\

**प्रस्तर 1 : बाटर टेस्टिंग लैब में बिना बीमा किये ` 8.11 लाख की यन्त्रांश का संचालन।**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जलसंस्थान, हल्द्वानी के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि विभाग में Water Testing Laboratory दिनांक 01.10.2013 को स्थापित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन एवं मैसर्स FICCI Reseasrch and Analysis Centre, New Delhi के साथ अनुबंध के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्यालय में लेब्रोटरी स्थापना की उपयोगी यन्त्राश शासन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा जो कि अधिशासी अभियन्त्रण, हल्द्वानी के देखरेख में रहेगा साथ ही लैब में कार्यरत कर्मी की नियुक्ति एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी।

विभाग के साथ एजेन्सी के अनुबंध पत्र सं. 175 / C.B. No.-15 dt. 01.08.13/Running of Sub. Div. Labs/13-14 dated 24-09-2013 के Schedule-"C" के बिन्दू सं. 18 में यह निर्णय लिया गया था कि "Laboratery shall be insured against burglary/ fire etc."

कार्यालय द्वारा केन्द्रीय भण्डार, देहरादून से प्राप्त सूचना से लैब में कुल 10 सामग्री का उल्लेख किया गया जिसकी कुल मूल्य ` 8,11,509.88 है जो कि बीमा के बिना रखी गई है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय के तरफ से बताया गया कि कार्यवाही की जायेगी।

अतः इस प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान / निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से अधीशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1 / 105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामाजिक क्षेत्र**